

आचार्य मनिष र. जोशी

Prof. Manish R. Joshi

Secretary





(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार) (Ministry of Education, Govt. of India)

सार्वजनिक स्चना

F.No. 1-4/2025 (DEB-NER)

29 श्रावण, 1947 / 20th August, 2025

Extension of Last date of admission for academic session July-August, 2025 for Open and Distance Learning (ODL) and Online Programmes being offered by recognized/entitled Higher Educational Institutions (HEIs)

Based on various representations received from HEIs, UGC has decided to extend the Last date to admit learners in ODL/Online Programmes for academic session July-August, 2025, from 15th September 2025 to 15th October 2025.

All HEIs offering Programmes through ODL and/or Online mode are advised to adhere to the revised timeline and ensure compliance with the applicable regulations and guidelines issued by the UGC from time to time.

Further, UGC has issued various detailed public notices from time to time (available at https://deb.ugc.ac.in/Uploads/Notices_Upload.pdf) informing all stakeholders regarding precautions to be taken by the students before enrolling in Programmes offered under ODL and/or Online mode.

Students are advised to verify the ODL/Online recognition status of the Programmes and the HEI on the UGC-DEB portal before taking admission.







(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार) (Ministry of Education, Govt. of India)

आचार्य मनिष र. जोशी

Prof. Manish R. Joshi

Secretary

सार्वजनिक सूचना

फा.सं. 1-4/2025 (डीईबी-एनईआर)

29 श्रावण, 1947 / 20th अगस्त, 2025

शैक्षणिक सत्र जुलाई-अगस्त, 2025 हेतु मान्यता प्राप्त/अधिकार प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थानों (HEIs) द्वारा संचालित मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) और ऑनलाइन कार्यक्रमों में प्रवेश की अंतिम तिथि बढाने के संबंध में।

उच्च शिक्षण संस्थानों (HEIs) से प्राप्त विभिन्न अभ्यावेदनों के आधार पर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने शैक्षणिक सत्र जुलाई-अगस्त, 2025 हेतु ओडीएल/ऑनलाइन कार्यक्रमों में विद्यार्थियों को प्रवेश देने की अंतिम तिथि 15 सितंबर, 2025 से बढ़ाकर 15 अक्टूबर, 2025 करने का निर्णय लिया

सभी उच्च शिक्षण संस्थानों जो ओडीएल एवं/या ऑनलाइन माध्यम से कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं, उनको सलाह दी जाती है कि वे संशोधित समय-सीमा का पालन करें और यूजीसी द्वारा समय-समय पर जारी प्रासंगिक विनियमों और दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा समय-समय पर विभिन्न विस्तत सार्वजनिक सूचनाएँ जारी की गई हैं (https://deb.ugc.ac.in/Uploads/Notices Upload.pdf पर उपलब्ध है), जिनके माध्यम से सभी हितधारकों को यह अवगत कराया गया है कि विद्यार्थियों को ओडीएल एवं/या ऑनलाइन माध्यम से संचालित कार्यक्रमों में नामांकन से पहले विद्यार्थियों द्वारा बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में सूचित किया गया है।

विद्यार्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे प्रवेश लेने से पूर्व संबंधित कार्यक्रम और उच्च शिक्षण संस्थान की ओडीएल/ऑनलाइन मान्यता की स्थिति यूजीसी-डीईबी पोर्टल पर सत्यापित कर लें।